संख्या-35/2025/628/12-5099/73/2022

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक::** **14 मई, 2025**

विषयः- प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना का वित्तीय वर्ष 2025-2026 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-चावल/40/प्र०कृ०उ०स्वा०यो०/2025-26, दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना का वित्तीय वर्ष 2025-2026 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्राशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

1.संक्षिप्त रूप रेखा:-

कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कृषक हित में करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें "वन स्टाप शॉप" के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इन एग्रीजंक्शन (वन स्टाप शॉप) केन्द्रों के माध्यम से निम्नलिखित सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी:-

1. उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति।
2. प्रसार सेवाये तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन।
3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्ग-दर्शन देना।
4. लघु कृषि-यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।
5. नवीन तकनीकी की जानकारी।
6. विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में परामर्शी सेवाएं दिए जाने एवं प्रचार हेतु एग्रीजंक्शन केन्द्रों पर LCD/ AV Aids के लगाये जाने की व्यवस्था।

उक्त के अतिरिक्त एग्रीजंक्शन केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण, पशु आहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री, मौसम/विपणन व अन्य सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. कार्य क्षेत्रः- प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

3. अनुमन्य सुविधायें :-

I. एग्रीजंक्शन की स्थापना हेतु चयनित लाभर्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण।

II. एग्रीजंक्शन स्थापना के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था है। यह अनुदान बैंक की बैक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा।

III. एक वर्ष (12 माह) तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि, जो रूपया 1000/- प्रतिमाह से अधिक न हो।

IV. कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति निम्न लिखित विवरण के अनुसार की जायेगीः-

(अ) बीज लाइसेंस शुल्क हेतु (रूपये 1000/- प्रति केन्द्र)

(ब-1) उर्वरक लाइसेंस शुल्क बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रूपये 625/-प्रति केन्द्र)

(ब-2) उर्वरक लाइसेंस शुल्क सामान्य क्षेत्र हेतु (रूपये 1250/-प्रति केन्द्र)

(स-1) कीटनाशी लाइसेंस शुल्क शहरी क्षेत्र हेतु (रूपये 7500/-प्रति केन्द्र)

(स-2) कीटनाशी लाइसेंस शुल्क ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रूपये 1500/-प्रति केन्द्र)

कीटनाशी लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जनपद में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का अनुपात 75:25 रखा गया है, फिर भी स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप लाइसेंस मद हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के केन्द्रों के निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन किया जा सकेगा तथा तदनुसार आवंटित धनराशि का उपयोग जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा।

V. एग्रीजंक्शन उद्यमियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अन्य योजनाओं से अभिसरण।

4. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य:-

प्रदेश के सभी विकास खण्डों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित "वन स्टॉप शॉप" पर किसान गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश एवं कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ युवा कृषि स्नातक स्वरोजगार के लिए सक्षम होंगे।

वर्ष 2025-26 में प्रदेश के समस्त जनपदों में 766 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रति एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी : -

क्र सं0	कार्य विवरण	धनराशि(रू0 में)
1	ऋण सीमा की धनराशि रूपये 5.00 लाख पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम प्रति केन्द्र रू0 60,000(बैक इन्डेड सब्सिडी के रूप में वर्तमान ब्याज दर में) परियोजना पर बैंक ऋण स्वीकृति रू0 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैक इन्डेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रूप से कम होगा।	60,000
2	परिसर किराया 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम् रूपये 12000/- किराया (अधिकतम् रू0 1000/-प्रतिमाह की दर से केवल 12 माह के लिए)	12,000
3	निवेशों पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति कृषि निवेशवार लाइसेन्स शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरणः- 1. बीज लाइसेन्स शुल्क हेतु (रूपयें 1000/-प्रति केन्द्र) 2. i) उर्वरक लाइसेन्स बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रस्तावित शुल्क	5,250

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	(रूपयें 625/- प्रति केन्द्र) ii) उर्वरक लाइसेन्स सामान्य क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रूपये 1250/-प्रति केन्द्र) 3. i) कीटनाशी रसायन लाइसेन्स शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रू0 7500/-प्रति केन्द्र) ii) कीटनाशी रसायन लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रूपये 1500/-प्रति केन्द्र)	
4	13 दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन, विज्ञापन, स्टेशनरी कार्यालय के अन्य विविध व्यय हेतु रू0 7190 प्रति केन्द्र (प्रशिक्षण व्यय @ रू0 400/ लाभार्थी /प्रति दिन, 13 दिन हेतु कुल रू0 5200 + अन्य व्यय रू0 1990 विभाग हेतु)	7190
योग		**84,440**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 766 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना के भौतिक लक्ष्य हेतु कुल धनराशि रूपया 647.17 लाख व्यय किया जाना है। वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार फांट**(संलग्नक-1)** में दिया गया है । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में सृजित देनदारी रुपया 28.22 लाख है, जिसका जनपदवार एवं मदवार **(संलग्नक-2)** में दिया गया है, जिसकी पूर्ति भी वर्ष 2025-26 में की जाए ।

इस प्रकार वर्ष 2025-26 हेतु कुल कार्ययोजना का आकार निम्नवत होगा :-

क्र0 सं0	वर्ष	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपये में)
1	2025-26	766	647.17
2	2024-25 के सृजित दायित्व जिसका भुगतान वर्ष 2025-26 में होना है	-	28.22
	कुल योग	766	675.39

इस प्रकार वर्ष 2025-26 में प्रदेश में कुल 766 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना का भौतिक लक्ष्य है, जिस हेतु कुल धनराशि रूपया 647.17 लाख व्यय किया जाना है। एवं सृजित देनदारी रुपया 28.22 लाख है। इस प्रकार कुल रुपया 675.39 लाख का व्यय किया जाना है। प्रदेश हेतु कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य की सीमान्तर्गत अंतर्जनपदीय लक्ष्य परिवर्तन कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से किया जा सकेगा। यह योजना नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंक/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की समस्त बैंकों के माध्यम से क्रियाशील की जायेगी।

5. योजना का क्रियान्वयन:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-11/2023/127/12-5-2023-ब०-06/2017 दिनॉक 31-01-2023 के अनुसार किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :-

(i) प्रचार-प्रसार:- योजनान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्यों की निर्धारित समय सारणी के अनुसार व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने हेतु निम्न कार्यवाही की जाएगी :-

(अ) इस हेतु मुख्यालय स्तर से योजना का संक्षिप्त विवरण देते हुए प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में इच्छुक युवा बेरोजगार कृषि स्नातकों से अपने सम्बंधित जनपद में उप कृषि निदेशक को आवेदन करने हेतु विभागीय पोर्टल के विवरण सहित विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

(ब) योजनान्तर्गत पात्रता, अनुमन्य सुविधाएं, जनपदवार लक्ष्य, चयन प्रक्रिया आदि के विवरण सहित स्वीकृत कार्ययोजना जन सामान्य हेतु विभागीय पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(स) स्वीकृत कार्ययोजना में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जनपदीय उप कृषि निदेशकों द्वारा भी अपने-अपने जनपद में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) समय सारणी :- जनपदों के कार्ययोजना निर्गमन के पश्चात् विभिन्न कार्य मदों/क्रियाकलापों को निम्नवत् समय सारणी के अनुसार सम्पादित / क्रियान्वित करते हुए 6 माह के अन्दर एग्रीजंक्शन की स्थापना करायी जानी होगी :-

क्र.सं.	क्रियाकलाप	समय सारणी	अवधि
1	योजना का प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन	जनपदों को प्रेषित कार्य योजना के उपरान्त	15 जुलाई 2025 तक
2	लाभार्थी चयन	अधिकतम एक माह	14 अगस्त 2025 तक
3	लाभार्थी प्रशिक्षण (13 दिवसीय)	अधिकतम एक माह	15 सितम्बर 2025तक
4	कृषि निवेश लाइसेंस निर्गमन	अधिकतम 15 दिवस	30 सितम्बर 2025 तक
5	डी0पी0आर0 तैयारी बैंक को प्रेषण एवं स्वीकृति	अधिकतम 45 दिवस	15 नवंबर 2025 तक
6	ऋण वितरण	अधिकतम एक माह	15 दिसंबर 2025 तक
7	एग्रीजंक्शन स्थापना एवं संचालन	अधिकतम 15 दिवस	31 दिसंबर 2025 तक

उक्त समय सारणी के अनुसार विभिन्न क्रिया कलापों को निर्धारित अवधि तक सम्पादित / पूर्ण कराने का दायित्व जनपदीय उप कृषि निदेशक का होगा।

(iii) एग्रीजंक्शन हेतु पात्रता:- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक / स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा- उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियां, जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी हैं, जो आई0सी0ए0आर0/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हों, पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी / कृषि विषय में इंटरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर भी विचार किया जायेगा।

(iv) चयन प्रक्रिया:- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि में प्रशिक्षित युवाओं का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदित प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी (Screening) के उपरान्त किया जायेगा। इस समिति में मजिस्ट्रेट / मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक (कृषि विभाग), एल0डी0एम0 एवं सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0 सदस्य होंगे। अन्य विभागों से सम्बन्धित प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

जिला स्तर पर निम्न समिति का गठन किया जायेगा:-

1. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी - **अध्यक्ष**
2. उप कृषि निदेशक - सदस्य/सचिव
3. एल0डी0एम0 एवं सचिव - सदस्य मुख्य कार्य पालक अधिकारी
4. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड - सदस्य

चयन की प्रक्रिया जनपद में गठित समिति द्वारा पारदर्शी ढंग से की जाय। इस हेतु समिति द्वारा एक निर्धारित समय-सीमा में आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए शासनादेश में आयु सीमा के मानक के दृष्टिगत चयन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही पारदर्शी प्रतीक्षारत सूची भी श्रेणीबद्ध की जाएगी।

जनपद में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों का चयन किया जाय, जिससे कि अपरिहार्य परिस्थितियों में भी जनपदीय लक्ष्य की प्रतिपूर्ति शत-प्रतिशत की जा सके। चयन के उपरान्त लाभार्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें**(संलग्नक-3)**, जिसमें यह घोषणा होगी कि तीन वर्ष तक उनके द्वारा "वन स्टाप शॉप" का संचालन किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में कृषि विभाग की समस्त योजनाओं से उन्हें प्रतिबन्धित (ब्लैकलिस्ट) कर दिया जायेगा तथा उन पर किये गये व्यय की विभाग द्वारा वसूली होगी। चयनित लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को अवसर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(v) वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना अंतर्गत जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में रखे गये समस्त अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित करते हुए नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी।

(vi) **आयु:-** 40 वर्ष से अनधिक, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। पात्र अभ्यार्थियों में, जिनकी जन्मतिथि पहले हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी। आयु की गणना कार्ययोजना जारी होने की तिथि से की जायेगी।

(vii) **प्रति एग्रीजंक्शन कुल न्यूनतम प्रोजेक्ट लागत:-** रू0 6.00 लाख

(viii) **ऋण सीमा:-** रू0 5.00 लाख

(ix) **मार्जिन मनी:-** रू0 1.00 लाख (प्रोजेक्ट लागत का 17.00 प्रतिशत) ऋणी आवेदक द्वारा अभिदान किया जायेगा। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं अन्य क्रिया-कलापों के लिए अनुमन्य अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्य होंगे। योजना का उद्देश्य क्रेडिट निवेश दर को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में कृषि पूंजी सृजित करना ताकि **"वन स्टाप शॉप"** के स्थापना से कृषको को लाभान्वित किया जा सके।

(x) **ऋण वितरण:-** प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के उपरान्त।

(xi) **लाक इन पीरियड:-** 36 माह (7.5 % अग्रिम ब्याज अनुदान की धनराशि 03 वर्षो के प्रस्तावित कार्य हेतु बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में अधिकतम रूपये 60,000/- की सीमा तक दी जाएगी, परन्तु लाभार्थी द्वारा ऋण खाता 03 वर्ष से पूर्व बन्द नहीं किया जायेगा)। ऋण स्वीकृति रूपये 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैक इन्डेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रूप से कम होगा ।

(xii) **परियोजना अवधि:-** परियोजना पूर्ण होने की अवधि तक बैंक द्वारा ऋण की प्रथम क़िस्त अवमुक्त/वितरण होने के पश्चात 6 माह होगी, जिसे ऋण स्वीकर्ता बैंक द्वारा समुचित कारण इंगित किये जाने की दशा में अधिकतम 3 माह तक और बढ़ाया जा सकेगा।

(xiii) **डाक्यूमेन्टेशन:-** बैंक में लागू डायरेक्ट एग्री सिग्मेन्ट अग्रिम के अनुसार।

(xiv) **पुनर्भुगतान:-** 03 माह के मोरैटोरियम अवधि को सम्मिलित करते हुए 36 से 60 माह में किया जायेगा। पुनर्भुगतान शेड्यूल, ऋण की सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि सब्सिडी की धनराशि का समायोजन शुद्ध ऋण की धनराशि की भरपाई (liquidation) के पश्चात हो।

(xv). यदि परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो अनुदान (subsidy) की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी और यदि कोई अनुदान की धनराशि बैंक को दी गयी है तो वह सम्बंधित उप कृषि निदेशक को बैंक द्वारा वापस किये जाने की बाध्यता होगी तथा वापस होने वाली अनुदान की धनराशि उप कृषि निदेशक द्वारा राजकोष में जमा की जाएगी।

(xvi) सम्बंधित बैंक परियोजना अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का बीमा भी सुनिश्चित कराएँगे।

(xvii) ऋण प्रदान करने वाले बैंक द्वारा निर्धारित अवधि में या समय-समय पर औचक निरीक्षण कर बैक एन्डेड सब्सिडी हेतु उद्यमी की पात्रता की पुष्टि करनी होगी एवं विभाग को इसकी रिर्पोर्ट भी प्रेषित की जाएगी। बैंक द्वारा तीन साल के लॉक-इन अवधि के अंत में एक Consolidated रिर्पोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी।

(xviii) बैक एन्डेड सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को बैंक द्वारा "Subsidy Reserve fund Account" में रखा जायेगा तथा इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। उद्यमी का लोन खाता अलग संचालित किया जाएगा।

6. **प्रशिक्षण एण्ड हैण्ड होल्डिंग:-** चयनित आवेदकों को योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से प्रशिक्षण, राज्य कृषि प्रबन्ध विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समेती, रहमानखेड़ा, लखनऊ/आर-सेटीज/ विभागीय राजकीय कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विद्यालय द्वारा कम से कम 13 दिन का ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना (आर0ई0डी0पी0) का प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। चयनित लाभार्थियों को दिये जाने वाले 13 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विषय वस्तु **(संलग्नक-4)** पर उपलब्ध है।

7. योजना का वित्त पोषण:- योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी।

8. प्रशिक्षित उद्यमियों के कर्तव्य एवं दायित्व:- एग्रीजंक्शन उद्यमी अपने क्षेत्र के किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश आपूर्ति के साथ-साथ नवीनतम् कृषि तकनीकी और विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे। विभाग द्वारा संचालित मेला, गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रमो में प्रतिभाग करेंगे और कृषि विभाग के प्रसार कार्यकर्ताओं को उनके कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। समय-समय पर कृषि विभाग के सहयोग से अपने ज्ञान को समुन्नत करते हुए स्वयं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाये रखेंगे।

9. योजना का अभिसरण:- एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषि के विविध आयामों से युक्त, सुदृढ़ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस योजना का अभिसरण अन्य योजनाओं के अनुमन्य प्राविधानों और प्रचलित दिशा-निर्देशों में अनुमन्यता के अधीन किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि इस योजना के लाभार्थियों के लिए यह उद्यम आर्थिक रूप से सफल सिद्व हो सके। उदाहरण स्वरूप कृषि विभाग की कतिपय योजनाओं से इनका अभिसरण किया जा सकता है। जैसे-

क- एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अर्न्तगत् कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु चयन में प्राथमिकता दी जाये।

ख- एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना उपरान्त यदि लाभार्थी द्वारा एग्रीजंक्शन केन्द्र को समिति के रूप में पंजीकृत करा लिया जाता है अथवा उनके द्वारा समूह गठित कर कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलाप संचालित किये जाते हैं तो उन्हें फार्म मशीनरी बैंक अर्न्तगत लाभान्वित किया जाये।

ग- एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत फार्म स्टोरेज रूम/स्ट्रक्चर (50मै0टन क्षमता) हेतु अनुदान सुविधा (लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 3.34 लाख, जो भी कम हो) देकर स्थानीय स्तर पर भण्डारण क्षमता का विकास।

घ- एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत छोटी प्रसंस्करण इकाईयों (मिनी राइस मिल, दाल मिल, ऑयल एक्सपेलर आदि) पर देय अनुदान सुविधा उपलब्ध कराते हुए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण सुविधा के माध्यम से मूल्य संवर्द्वन कर कृषकों की आय में वृद्वि।

ड़- मॉडल के रूप में विकसित एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषकों के भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाया जाये तथा ऐसे एग्रीजंक्शन के लाभार्थियों को रिर्सोस परसन/अग्रणी कृषक/प्रचार-प्रसार कार्यकर्ता के रूप में उपयोग किया जाये।

10. प्रगति प्रेषण:- प्रत्येक जनपद का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण सम्बन्धित उप कृषि निदेशक द्वारा माह की 5वीं तारीख तक निर्धारित रूप पत्र-अ एवं ब **(संलग्नक-5)** पर वर्ष 2025-26 के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगति चावल अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण:- योजना के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक का होगा तथा मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक इसके पर्यवेक्षण हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। उप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी क्षेत्रीय स्थल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर अपर कृषि निदेशक (चावल) योजना के नियंत्रण अधिकारी होंगे।

12. योजनान्तर्गत विज्ञापन कृषि निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ स्तर से निकाला जाएगा, जिससे एकरूपता रहे तथा प्रत्येक जनपद में उक्त समयसीमा के अनुसार कार्य किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।

8- अपर कृषि निदेशक(चावल) , कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।

9- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक जनपदीय/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

10- सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

"प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना" हेतु जनपदवार प्रस्तावित भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (वर्ष 2025-26)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या	जनपदवार चयनित विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2025-26 के भौतिक लक्ष्य	जनपदवार उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु भौतिक (इकाई)/वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख रू0 में)													
				ब्याज पर अनुदान प्रति केन्द्र (अधिम ब्याज अनुदान की धनराशि (रू0 60000/- तीन वर्ष के प्रस्तावित कार्य हेतु)	प्रतिस्थापना केन्द्र के किराये पर अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र (रू0 12000/- केवल प्रथम वर्ष हेतु)	निवेशों पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायन)							अनुदान (मानक मद 27 समिति) हेतु कुल धनराशि	विविध व्यय (मानक मद 42-अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि	महायोग
						बीज (रू0 1000/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक (रू0 1250/- प्रति केन्द्र एवं बुन्देलखण्ड हेतु रू0 625/- प्रति केन्द्र)		कीटनाशी (शहरी क्षेत्र हेतु रू0 7500/- एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1500/- प्रति केन्द्र)				योग			
							सामान्य क्षेत्र हेतु (रू0 1250/- प्रति केन्द्र)	बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रू0 625/- प्रति केन्द्र	शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की संo	ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की संo	शहरी क्षेत्र हेतु (रू0 7500/- प्रति केन्द्र)	ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रूपये 1500/- प्रति केन्द्र)				
1	अ0कृ0नि0, आगरा	15	14	8.40	1.68	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.85	1.007	11.852
2	अ0कृ0नि0, फिरोजाबाद	9	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
3	अ0कृ0नि0, मैनपुरी	9	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
4	अ0कृ0नि0, मथुरा	10	9	5.40	1.08	0.09	0.113	0	2	7	0.15	0.105	0.458	6.94	0.647	7.585
	आगरा मण्डल का योग	**43**	**39**	**23.40**	**4.68**	**0.39**	**0.488**	**0**	**10**	**29**	**0.75**	**0.435**	**2.063**	**30.143**	**2.804**	**32.947**
5	अ0कृ0नि0, अलीगढ़	12	11	6.60	1.32	0.11	0.138	0	3	8	0.225	0.12	0.593	8.51	0.791	9.304
6	अ0कृ0नि0, एटा	8	7	4.20	0.84	0.07	0.088	0	2	5	0.15	0.075	0.383	5.42	0.503	5.926
7	अ0कृ0नि0, हाथरस	7	6	3.60	0.72	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.67	0.431	5.096
8	अ0कृ0नि0, कासगंज	7	6	3.60	0.72	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.67	0.431	5.096
	अलीगढ़ मण्डल का योग	**34**	**30**	**18**	**3.6**	**0.3**	**0.376**	**0**	**9**	**21**	**0.675**	**0.315**	**1.666**	**23.266**	**2.156**	**25.422**
9	अ0कृ0नि0 प्रयागराज	23	21	12.60	2.52	0.21	0.263	0	5	16	0.375	0.24	1.088	16.21	1.51	17.718
10	अ0कृ0नि0, फतेहपुर	13	12	7.20	1.44	0.12	0.15	0	3	9	0.225	0.135	0.63	9.27	0.863	10.133
11	अ0कृ0नि0, प्रतापगढ़	17	16	9.60	1.92	0.16	0.2	0	4	12	0.3	0.18	0.84	12.36	1.15	13.51
12	अ0कृ0नि0, कौशाम्बी	8	7	4.20	0.84	0.07	0.088	0	2	5	0.15	0.075	0.383	5.42	0.503	5.926
	प्रयागराज मण्डल का योग	**61**	**56**	**33.6**	**6.72**	**0.56**	**0.701**	**0**	**14**	**42**	**1.05**	**0.63**	**2.941**	**43.261**	**4.026**	**47.287**
13	अ0कृ0नि0, आजमगढ़	22	20	12.00	2.40	0.2	0.25	0	5	15	0.375	0.225	1.05	15.45	1.438	16.888
14	अ0कृ0नि0, मऊ	9	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
15	अ0कृ0नि0, बलिया	17	16	9.60	1.92	0.16	0.2	0	4	12	0.3	0.18	0.84	12.36	1.15	13.51
	आजमगढ़ मण्डल का योग	**48**	**44**	**26.4**	**5.28**	**0.44**	**0.55**	**0**	**11**	**33**	**0.825**	**0.495**	**2.31**	**33.99**	**3.163**	**37.153**
16	अ0कृ0नि0, बदायूँ	15	14	8.40	1.68	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.85	1.007	11.852
17	अ0कृ0नि0, बरेली	15	14	8.40	1.68	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.85	1.007	11.852
18	अ0कृ0नि0, पीलीभीत	7	6	3.60	0.72	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.67	0.431	5.096
19	अ0कृ0नि0, शाहजहाँपुर	15	14	8.40	1.68	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.85	1.007	11.852
	बरेली मण्डल का योग	**52**	**48**	**28.8**	**5.76**	**0.48**	**0.6**	**0**	**14**	**34**	**1.05**	**0.51**	**2.64**	**37.2**	**3.452**	**40.652**

1

4/23/2025

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या	जनपदवार चयनित विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2025-26 के भौतिक लक्ष्य	जनपदवार उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु भौतिक (इकाई)/वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख रू0 में)													
				ब्याज पर अनुदान प्रति केन्द्र (अधिम ब्याज अनुदान की धनराशि (रू0 60000/- तीन वर्ष के प्रस्तावित कार्य हेतु)	प्रतिस्थापना केन्द्र के किराये पर अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र (रू0 12000/- केवल प्रथम वर्ष हेतु)	निवेशों पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायन)							अनुदान (मानक मद 27 समिति) हेतु कुल धनराशि	विविध व्यय (मानक मद 42-अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि	महायोग
						बीज (रू0 1000/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक (रू0 1250/- प्रति केन्द्र एवं बुन्देलखण्ड हेतु रू0 625/- प्रति केन्द्र)		कीटनाशी (शहरी क्षेत्र हेतु रू0 7500/- एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1500/- प्रति केन्द्र)				योग			
							सामान्य क्षेत्र हेतु (रू0 1250/- प्रति केन्द्र)	बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रू0 625/- प्रति केन्द्र	शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की संo	ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की संo	शहरी क्षेत्र हेतु (रू0 7500/- प्रति केन्द्र)	ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रूपये 1500/- प्रति केन्द्र)				
20	अ0कृ0नि0, बस्ती	14	13	7.80	1.56	0.13	0.163	0	3	10	0.225	0.15	0.668	10.03	0.935	10.963
21	अ0कृ0नि0, संतकबीर नगर	9	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
22	अ0कृ0नि0, सिद्धार्थ नगर	14	13	7.80	1.56	0.13	0.163	0	3	10	0.225	0.15	0.668	10.03	0.935	10.963
	बस्ती मण्डल का योग	**37**	**34**	**20.4**	**4.08**	**0.34**	**0.426**	**0**	**8**	**26**	**0.6**	**0.39**	**1.756**	**26.236**	**2.445**	**28.681**
23	अ0कृ0नि0, बांदा	8	7	4.20	0.84	0.07	0	0.044	2	5	0.15	0.075	0.339	5.38	0.503	5.882
24	अ0कृ0नि0, चित्रकूटधाम	5	5	3.00	0.60	0.05	0	0.031	1	4	0.075	0.06	0.218	3.82	0.36	4.176
25	अ0कृ0नि0, हमीरपुर	7	6	3.60	0.72	0.06	0	0.038	2	4	0.15	0.06	0.308	4.63	0.431	5.059
26	अ0कृ0नि0, महोबा	4	4	2.40	0.48	0.04	0	0.025	1	3	0.075	0.045	0.185	3.07	0.288	3.353
	बांदा मण्डल का योग	**24**	**22**	**13.2**	**2.64**	**0.22**	**0**	**0.138**	**6**	**16**	**0.45**	**0.24**	**1.048**	**16.888**	**1.582**	**18.47**
27	अ0कृ0नि0, बहराइच	14	13	7.80	1.56	0.13	0.163	0	3	10	0.225	0.15	0.668	10.03	0.935	10.963
28	अ0कृ0नि0, बलरामपुर	9	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
29	अ0कृ0नि0, श्रावस्ती	16	15	9.00	1.80	0.15	0.188	0	4	11	0.3	0.165	0.803	11.60	1.079	12.682
30	अ0कृ0नि0, सोनभद्र	5	5	3.00	0.60	0.05	0.063	0	1	4	0.075	0.06	0.248	3.85	0.36	4.208
	देवीपाटन मण्डल का योग	**44**	**41**	**24.6**	**4.92**	**0.41**	**0.514**	**0**	**10**	**31**	**0.75**	**0.465**	**2.139**	**31.659**	**2.949**	**34.608**
31	अ0कृ0नि0, अम्बेडकर नगर	9	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
32	अ0कृ0नि0, बाराबंकी	15	14	8.40	1.68	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.85	1.007	11.852
33	अ0कृ0नि0, अयोध्या	11	10	6.00	1.20	0.1	0.125	0	3	7	0.225	0.105	0.555	7.76	0.719	8.474
34	अ0कृ0नि0, अमेठी	13	12	7.20	1.44	0.12	0.15	0	3	9	0.225	0.135	0.63	9.27	0.863	10.133
35	अ0कृ0नि0, सुल्तानपुर	14	13	7.80	1.56	0.13	0.163	0	3	10	0.225	0.15	0.668	10.03	0.935	10.963
	अयोध्या मण्डल का योग	**62**	**57**	**34.2**	**6.84**	**0.57**	**0.713**	**0**	**15**	**42**	**1.125**	**0.63**	**3.038**	**44.078**	**4.099**	**48.177**
36	अ0कृ0नि0, देवरिया	16	15	9.00	1.80	0.15	0.188	0	4	11	0.3	0.165	0.803	11.60	1.079	12.682
37	अ0कृ0नि0, गोरखपुर	20	19	11.40	2.28	0.19	0.238	0	5	14	0.375	0.21	1.013	14.69	1.368	16.059
38	अ0कृ0नि0, कुशीनगर	14	13	7.80	1.56	0.13	0.163	0	3	10	0.225	0.15	0.668	10.03	0.935	10.963
39	अ0कृ0नि0, महाराजगंज	12	11	6.60	1.32	0.11	0.138	0	3	8	0.225	0.12	0.593	8.51	0.791	9.304
	गोरखपुर मण्डल का योग	**62**	**58**	**34.8**	**6.96**	**0.58**	**0.727**	**0**	**15**	**43**	**1.125**	**0.645**	**3.077**	**44.837**	**4.171**	**49.008**
40	अ0कृ0नि0, जालौन	9	8	4.80	0.96	0.08	0	0.05	2	6	0.15	0.09	0.37	6.13	0.575	6.705

2

4/23/2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या	जनपदवार चयनित विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2025-26 के भौतिक लक्ष्य	जनपदवार उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु भौतिक (इकाई)/वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख रु0 में)													
				ब्याज पर अनुदान प्रति केन्द्र (अधिम ब्याज अनुदान की धनराशि (रु0 60000/- तीन वर्ष के प्रस्तावित कार्य हेतु)	निवेशों पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायन)									अनुदान (मानक मद 27 सब्सिडी) हेतु कुल धनराशि	विविध व्यय (मानक मद 42-अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि	महायोग
					प्रतिस्थापना केन्द्र के किराये पर अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र (रु0 12000/- केवल प्रथम वर्ष हेतु)	बीज (रु0 1000/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक (रु0 1250/- प्रति केन्द्र एवं बुन्देलखण्ड हेतु रु0 625/- प्रति केन्द्र)		कीटनाशी (शहरी क्षेत्र हेतु रु0 7500/- एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1500/- प्रति केन्द्र)				योग			
							सामान्य क्षेत्र हेतु (रु0 1250/- प्रति केन्द्र)	बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रु0 625/- प्रति केन्द्र	शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	शहरी क्षेत्र हेतु (रु0 7500/- प्रति केन्द्र)	ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रुपये 1500/- प्रति केन्द्र)				
41	झा0कृ0नि0, झाँसी	8	7	4.20	0.84	0.07	0	0.044	2	5	0.15	0.075	0.339	5.38	0.503	5.882
42	झा0कृ0नि0, ललितपुर	6	6	3.60	0.72	0.06	0	0.038	2	4	0.15	0.06	0.308	4.63	0.431	5.059
	झाँसी मण्डल का योग	**23**	**21**	**12.6**	**2.52**	**0.21**	**0**	**0.132**	**6**	**15**	**0.45**	**0.225**	**1.017**	**16.137**	**1.509**	**17.646**
43	झा0कृ0नि0, औरैया	7	6	3.60	0.72	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.67	0.431	5.096
44	झा0कृ0नि0, इटावा	8	7	4.20	0.84	0.07	0.088	0	2	5	0.15	0.075	0.383	5.42	0.503	5.926
45	झा0कृ0नि0, फर्रुखाबाद	7	6	3.60	0.72	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.67	0.431	5.096
46	झा0कृ0नि0, कन्नौज	8	7	4.20	0.84	0.07	0.088	0	2	5	0.15	0.075	0.383	5.42	0.503	5.926
47	झा0कृ0नि0, कानपुर देहात	10	9	5.40	1.08	0.09	0.113	0	2	7	0.15	0.105	0.458	6.94	0.647	7.585
48	झा0कृ0नि0, कानपुर नगर	10	9	5.40	1.08	0.09	0.113	0	2	7	0.15	0.105	0.458	6.94	0.647	7.585
	कानपुर मण्डल का योग	**50**	**44**	**26.4**	**5.28**	**0.44**	**0.552**	**0**	**12**	**32**	**0.9**	**0.48**	**2.372**	**34.052**	**3.162**	**37.214**
49	झा0कृ0नि0, हरदोई	19	18	10.80	2.16	0.18	0.225	0	5	13	0.375	0.195	0.975	13.94	1.294	15.229
50	झा0कृ0नि0, लखीमपुर खीरी	15	14	8.40	1.68	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.85	1.007	11.852
51	झा0कृ0नि0, लखनऊ	8	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
52	झा0कृ0नि0, रायबरेली	18	17	10.20	2.04	0.17	0.213	0	4	13	0.3	0.195	0.878	13.12	1.222	14.34
53	झा0कृ0नि0, सीतापुर	19	18	10.80	2.16	0.18	0.225	0	5	13	0.375	0.195	0.975	13.94	1.294	15.229
54	झा0कृ0नि0, उन्नाव	16	15	9.00	1.80	0.15	0.188	0	4	11	0.3	0.165	0.803	11.60	1.079	12.682
	लखनऊ मण्डल का योग	**95**	**90**	**54**	**10.8**	**0.9**	**1.126**	**0**	**24**	**66**	**1.8**	**0.99**	**4.816**	**69.616**	**6.471**	**76.087**
55	झा0कृ0नि0, बागपत	6	6	3.60	0.72	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.67	0.431	5.096
56	झा0कृ0नि0, बुलन्दशहर	16	15	9.00	1.80	0.15	0.188	0	4	11	0.3	0.165	0.803	11.60	1.079	12.682
57	झा0कृ0नि0, गौतमबुद्ध नगर	3	3	1.80	0.36	0.03	0.038	0	1	2	0.075	0.03	0.173	2.33	0.216	2.549
58	झा0कृ0नि0, गाजियाबाद	4	4	2.40	0.48	0.04	0.05	0	1	3	0.075	0.045	0.21	3.09	0.288	3.378
59	झा0कृ0नि0, हापुड़	4	4	2.40	0.48	0.04	0.05	0	1	3	0.075	0.045	0.21	3.09	0.288	3.378
60	झा0कृ0नि0, मेरठ	12	11	6.60	1.32	0.11	0.12	0	3	8	0.225	0.12	0.58	8.45	0.716	9.166
	मेरठ मण्डल का योग	**45**	**43**	**25.8**	**5.16**	**0.43**	**0.521**	**0**	**12**	**31**	**0.9**	**0.465**	**2.321**	**33.231**	**3.018**	**36.249**
61	झा0कृ0नि0, मिर्जापुर	12	11	6.60	1.32	0.11	0.138	0	3	8	0.225	0.12	0.593	8.51	0.791	9.304
62	झा0कृ0नि0, सोनभद्र	6	6	3.60	0.72	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.67	0.431	5.096

4/23/2025

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या	जनपदवार चयनित विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2025-26 के भौतिक लक्ष्य	जनपदवार उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु भौतिक (इकाई)/वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख रु0 में)													
				ब्याज पर अनुदान प्रति केन्द्र (अधिम ब्याज अनुदान की धनराशि (रु0 60000/- तीन वर्ष के प्रस्तावित कार्य हेतु)	निवेशों पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायन)									अनुदान (मानक मद 27 सब्सिडी) हेतु कुल धनराशि	विविध व्यय (मानक मद 42-अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि	महायोग
					प्रतिस्थापना केन्द्र के किराये पर अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र (रु0 12000/- केवल प्रथम वर्ष हेतु)	बीज (रु0 1000/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक (रु0 1250/- प्रति केन्द्र एवं बुन्देलखण्ड हेतु रु0 625/- प्रति केन्द्र)		कीटनाशी (शहरी क्षेत्र हेतु रु0 7500/- एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1500/- प्रति केन्द्र)				योग			
							सामान्य क्षेत्र हेतु (रु0 1250/- प्रति केन्द्र)	बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रु0 625/- प्रति केन्द्र	शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	शहरी क्षेत्र हेतु (रु0 7500/- प्रति केन्द्र)	ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रुपये 1500/- प्रति केन्द्र)				
63	झा0कृ0नि0, सोनभद्र	10	9	5.40	1.08	0.09	0.113	0	2	7	0.15	0.105	0.458	6.94	0.647	7.585
	मिर्जापुर मण्डल का योग	**28**	**26**	**15.6**	**3.12**	**0.26**	**0.326**	**0**	**7**	**19**	**0.525**	**0.285**	**1.396**	**20.116**	**1.869**	**21.985**
64	झा0कृ0नि0, बिजनौर	11	10	6.00	1.20	0.1	0.125	0	3	7	0.225	0.105	0.555	7.76	0.719	8.474
65	झा0कृ0नि0, ज्योतिबाफुले नगर	6	6	3.60	0.72	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.67	0.431	5.096
66	झा0कृ0नि0, मुरादाबाद	8	7	4.20	0.84	0.07	0.088	0	2	5	0.15	0.075	0.383	5.42	0.503	5.926
67	झा0कृ0नि0, सम्भल	8	7	4.20	0.84	0.07	0.088	0	2	5	0.15	0.075	0.383	5.42	0.503	5.926
68	झा0कृ0नि0, रामपुर	6	10	6.00	1.20	0.1	0.125	0	3	7	0.225	0.105	0.555	7.76	0.719	8.474
	मुरादाबाद मण्डल का योग	**39**	**40**	**24**	**4.8**	**0.4**	**0.501**	**0**	**12**	**28**	**0.9**	**0.42**	**2.221**	**31.021**	**2.875**	**33.896**
69	झा0कृ0नि0, मुजफ्फर नगर	9	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
70	झा0कृ0नि0, सहारनपुर	11	10	6.00	1.20	0.1	0.125	0	3	7	0.225	0.105	0.555	7.76	0.719	8.474
71	झा0कृ0नि0, शामली	5	5	3.00	0.60	0.05	0.063	0	1	4	0.075	0.06	0.248	3.85	0.36	4.208
	सहारनपुर मण्डल का योग	**25**	**23**	**13.8**	**2.76**	**0.23**	**0.288**	**0**	**6**	**17**	**0.45**	**0.255**	**1.223**	**17.783**	**1.654**	**19.437**
72	झा0कृ0नि0, चन्दौली	9	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
73	झा0कृ0नि0, गाजीपुर	16	15	9.00	1.80	0.15	0.188	0	4	11	0.3	0.165	0.803	11.60	1.079	12.682
74	झा0कृ0नि0, जौनपुर	21	19	11.40	2.28	0.19	0.238	0	5	14	0.375	0.21	1.013	14.59	1.366	16.059
75	झा0कृ0नि0, वाराणसी	8	8	4.80	0.96	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	6.18	0.575	6.755
	वाराणसी मण्डल का योग	**54**	**50**	**30**	**6**	**0.5**	**0.626**	**0**	**13**	**37**	**0.975**	**0.555**	**2.656**	**38.656**	**3.595**	**42.251**
	योग	**826**	**766**	**459.6**	**91.92**	**7.66**	**9.035**	**0.27**	**204**	**562**	**15.3**	**8.43**	**40.7**	**592.17**	**55**	**647.17**

अपर कृषि निदेशक (चावल),
उत्तर प्रदेश

4/23/2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-(2)

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन(एग्रीजंक्शन) योजना वर्ष 2024-25 के अवशेष वित्तीय जिन्हे वर्ष 2025-26 में पूर्ण किया जाना है ।

(धनराशि रु0 में)

क्र0स0	जनपद का नाम	27 सब्सिडी	42 अन्य व्यय	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	उ0 कृ0 नि0 मेरठ	0	8441	8441
2	उ0 कृ0 नि0 मथुरा	0	22600	22600
3	उ0 कृ0 नि0 शाहजहाँपुर	46270	5640	51910
4	उ0 कृ0 नि0 पीलीभीत	0	7400	7400
5	उ0 कृ0 नि0 रामपुर	0	15000	15000
6	उ0 कृ0 नि0फतेहपुर	0	233000	233000
7	उ0 कृ0 नि0 झाँसी	0	66000	66000
8	उ0 कृ0 नि0 हमीरपुर	0	137400	137400
9	उ0 कृ0 नि0 वाराणसी	0	71000	71000
10	उ0 कृ0 नि0 गोरखपुर	0	174949	174949
11	उ0 कृ0 नि0 आजमगढ़	0	363080	363080
12	उ0 कृ0 नि0 देवरिया	0	122532	122532
13	उ0 कृ0 नि0 सीतापुर	0	161991	161991
14	उ0 कृ0 नि0 लखीमपुर	0	126000	126000
15	उ0 कृ0 नि0 गोण्डा	0	150000	150000
16	उ0 कृ0 नि0 बहराइच	0	6657	6657
17	उ0 कृ0 नि0 सुल्तानपुर	0	265510	265510
18	उ0 कृ0 नि0 प्रतापगढ़	0	145780	145780
19	उ0 कृ0 नि0 बाराबंकी	0	75030	75030
20	उ0 कृ0 नि0 ललितपुर	0	32300	32300
21	उ0 कृ0 नि0 गाजियाबाद	0	20347	20347
22	उ0 कृ0 नि0 फिरोजाबाद	0	67300	67300
23	उ0 कृ0 नि0 महराजगंज	60000	159190	219190
24	उ0 कृ0 नि0 कुशीनगर	0	195033	195033
25	उ0 कृ0 नि0 चंदौली	0	6188	6188
26	उ0 कृ0 नि0 अमरोहा	0	14284	14284
27	उ0 कृ0 नि0 चित्रकूटधाम	0	63000	63000
	योग	**106270**	**2715652**	**2821922**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-5

शपथ पत्र

समक्ष उप कृषि निदेशक..... उ0प्र0।

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....उम्र ..... निवासी ग्राम/मो0 .....पोस्ट.....थाना.....वि0ख0..... .....जिला..... का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजनान्तर्गत चयन के उपरान्त योजना के समस्त नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा।
2. योजनान्तर्गत निर्धारित निःशुल्क प्रशिक्षण पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ प्राप्त किया जायेगा।
3. प्रशिक्षणोपरान्त एग्री जंक्शन केन्द्र स्थापना हेतु बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक मार्जिन मनी निवेश करने तथा बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण करने हेतु सहमत हूँ।
4. योजनान्तर्गत चयनोपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात यदि मेरे द्वारा एग्री जंक्शन केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है तो योजनान्तर्गत मेरे ऊपर प्रशिक्षण में किया गया व्यय, निबन्धन पत्र निर्गमन हेतु दिये गये अनुदान की धनराशि मेरे द्वारा विभाग को वापस करने की मुझ पर बाध्यता होगी।
5. योजना के प्राविधानों के अनुसार मेरे द्वारा कृषि निवेश (बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन) व्यवसाय हेतु अनुज्ञा/प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए नियमानुसार आवेदन हेतु मैं बाध्य हूँ।
6. योजना के प्राविधानों के अनुसार बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में मिलने वाले ब्याज अनुदान के लॉक-इन पीरीयड (तीन वर्ष) तक लगातार एग्री जंक्शन केन्द्र का संचालन करूँगा, अन्यथा की स्थिति में देय ब्याज अनुदान विभाग को वापस करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
7. योजनान्तर्गत चयनोपरान्त यदि 03 वर्ष के पहले उद्यम बन्द किया जाता है तो कृषि विभाग द्वारा मुझे समस्त योजनाओं से प्रतिबन्धित (ब्लैकलिस्ट) कर दिया जाय एवं देय ब्याज अनुदान विभाग को वापस करने के लिए बाध्य हूँ।
8. योजनान्तर्गत एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना उपरान्त 03 वर्ष तक लगातार उद्यम संचालन करते हुये शासन/विभाग द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करूँगा।

दिनॉक शपथी

सत्यापन

मैं शपथी सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की धारा-1 से 06 तक मेरे निजी जानकारी में सत्य व सही हैं। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही गलत बयान किया गया है।

दिनॉक शपथी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-4

Krishi Udyami

Course code NARO30021-AGRI: Session Plan

Day	Session	Subject
01	I	Registration & Inauguration, about the Institute, rules & regulations of training/institute
	II	Micro lab – Ice breaking exercise
	III	Achievement Motivation – Confidence building
	IV	Entrepreneurship Development – What, Why & How?– (introduction)
02	I & II	Entrepreneurial competencies – importance, explanation with examples, case study for identification of different competencies
	III & IV	Risk Taking & Goal Setting – Ring Toss Exercise
03	I	Present Agricultural scenario in the country vis-à-vis Global scenario – New vistas in Agriculture and Allied Activities
	II	Monsoon pattern in India & its effect on Indian Agriculture, preparing for the season
	III & IV	Soil, formation, fertility and productivity/ Sampling analysis and soil test reports. Plant nutrients, major & minor elements, role and deficiency Symptoms – Balanced nutrients
04	I& II	High Yielding Farming techniques v/s organic farming techniques – A comparison. Use of fertilizers & organic manures, vermi composting
	III	Role of beneficial insects, microbes and other fauna, organisms – Balanced ecosystem
	IV	Tower building – eradicating dependency syndrome
05	I	Role of quality seeds in production, its importance & practices to be followed
	II	Major of the food crops region (3 to 4 crops) - package of practices
	III	Major commercial field crops of the region (3 to 4 crops) - package of practices
	IV	Dry land farming techniques – moisture conservation-practices
06	I	Efficient irrigation systems - sprinkler irrigation & drip irrigation etc
	II	Integrated farming systems for small & marginal farmers
	III & IV	Common insects/pests & diseases of the major crops of the region & their control, integrated pest management
07	I & II	Major horticulture crops of the region (3 to 4 crops, fruits crop, plantation crops, vegetable crops) - package of practices
	III	Scope & cultivation of medicinal & Aromatic Plants
	IV	Problem solving–explanation through case studies and exercises, creativity – creative thinking
08	I	High-tech Agriculture, scope description, use of latest machineries & implements for

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		farming
	II	Pisciculture-description, scope, inland fisheries – economics
	III & IV	Visit to progressive farm/research station, interaction with farmers/agri scientist
09	I	Dairy farming, breeds, selection of breeds, artificial insemination – managementaspects for clean milk production, milk products
	II	Nutrition & feeding of dairy animals, preparation of feeds & use of azola, fodder crops, calf management,
	III	Dairy animals - important diseases & their control, vaccination, economics of a dairy unit
	IV	Time Management
10	I	Rearing of sheep, piggery, rabbit, and backyard poultry for supplementary income to small & marginal farmers.
	II &III	Plant propagation techniques - grafting, budding, layering, tissue culture
	IV	Commercial Nursery Management
11	I	Agro Processing – Fruit & vegetable preservation
	II	Agri business – a new avenue, description & scope
	III &IV	Marketing of Agricultural produces – e-business in agriculture
12	I & II	Banking–deposits & advances, lending schemes to agricultural sector, Government schemes
	III	Crop planning & preparation of farm models – farm budgeting
	III	Preparation of Project Reports of Agriculture investments–projection of financial outlay
13	I	Insurance for Agriculture & Allied Activities – Crop Insurance and Livestock Insurance
	II	Supporting Institutions & development schemes
	III	Assessment and Evaluation
	IV	Feedback & Valedictory

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-(5)

एग्रीजंक्शन योजनान्तर्गत वर्ष———— की प्रगति प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप।

जनपद का नाम –

माह ————

प्रारूप–"अ"

क्रम	कार्यमद	भौतिक प्रगति (संख्या में)		वित्तीय प्रगति (हजार रू0 में)		अभ्युक्ति
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1.	एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना					
2.	एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु लाभार्थियों का चयन					
3.	13 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या					
4.	चयनित लाभार्थियों को जारी निबन्धन प्रमाण पत्रों की संख्या (बीज/उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन)					
5.	परिसर के किराये हेतु केन्द्रों की संख्या एवं अनुदान की धनराशि					
6.	ऋण हेतु बैंकों में प्रेषित डी0पी0आर0 की संख्या					
	1. बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये डी0पी0 आर0 की संख्या					
	2.ऋण स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष बैंक खाते में स्थानान्तरित धनराशि (केन्द्रों की संख्या एवं अनुदान की धनराशि)					
	3. स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष लाभार्थियों के खाते में बैंक द्वारा अवमुक्त धनराशि					
	4.व्यवसायं प्रारम्भ करने वाले लाभार्थियों की संख्या					
	(अ). बैंक द्वारा प्राप्त ऋण से					
	(ब). स्वयं के संसाधन से					
7.	अन्य व्यय					
	योग					
8.	मानक मदवार व्यय					
8(1)	मानक मद 27 सब्सिडी					
8(2)	मानक मद 42 अन्य व्यय					

प्रारूप–'ब'

क्रम	जनपद का नाम	आवेदक का नाम व पूरा पता	बैंक का नाम, खाता संख्या व आई0एफ0एस0 सी0 कोड सहित	प्रेषित डी. पी.आर. का दिनांक	स्वीकृत डी.पी. आर. की संख्या	बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते में अवमुक्त डी.पी. आर. की संख्या	अवशेष डी.पी.आर. की संख्या	अभ्युक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।